Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana Details

PMKKKY की घोषणा **17 सितंबर** को केंद्रीय मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने की थी |

इस तरह की योजना जो खदानों के आसपास रहने वाले लोगो जिनका जीवन किसी न किसी खनन से प्रभावित होता आ रहा है उसके लिए ये एक पहली बार आई है |

Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana के बारे में मोदी जी ने अपने स्पीच में एक बार ऐसा कहा था की जिन लोगो के क्षेत्र के कारन इस देश का विकास हो रहा है उन्ही लोगो का विकास अटका हुआ है | इसलिए उन लोगो के बारे में सोचना बहुत जरुरी है |

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के रूप में इस दिशा में पहेली कदम की घोषणा **मोदी जी** के जन्मदिन के दिन की गई |

Main Point Of Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य खदान क्षेत्र के विकास के साथ साथ वहां जो लोग रहते है उनके कल्याण के लिए है |

इस योजना के अंतर्गत ये भी ध्यान में रखा जायेगा की खनन के कारन वातावरण में जो हानि हो रही है और प्रदुषण को कम करने के लिए उसे कैसे निपटा जाये |खनन के कारन क्षेत्र में जो प्रदुषण हो रहा है उसे कम करना भी इस योजना का उद्देश्य है |

PMKKKY में स्थानीय लोगो के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएगे |

इस योजना के अनुसार स्वस्थ जीवन शैली की तरफ अधिक ध्यान दिया जाएगा |

PMKKKY उद्देश्य

Health Care Facility

इस योजना का मुख्य हेतु खनिज खनन के कारन पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो कम हो और उसके साथ में वहां जो लोग रहते है उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे | और उनके स्वास्थ्य सुधारने के लिए वहाँ आधुनिक तकनीके , दवाई और आधुनिक मचने प्रदान किये जायेगे |

Convenient Drinking Water

इस योजना के अंतर्गत खनीज खनन क्षेत्रो में पीने लायक पानी की सुविधा प्रदान की जाएगी और पानी के शुद्धिकरण के लिए सिस्टम भी लगवाई जाएगी | और पानी के **supply** के लिए पाइपलाइन और पानी के प्लान्ट भी लगवाए जाएेगे |

Education

कुछ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कुपोषण को दूर करना होगा और खनिज खनन क्षेत्रो में ज्यादा क्लासरूम , स्कूल , लेबोरेटरी ,लाइब्रेरी , होस्टेल ,स्पोर्ट जैसी सुविधाए शिक्षा के लिए उपलब्ध की जाएगी |

Welfare Facilities For Children , Elderly , Handicapped and Women

इस योजना के तहत इन लोगो के लिए कुछ और भी परियोजनाए प्रस्तुत की जाएगी जैसे की बच्चो जन्म , टीकाकरण और उनकी शिक्षा , महिलाओ की प्रसूति आदि | वृद्धो और विकलांगो के लिए खास प्रोजेक्ट भी बनवाए जाएगे |

Cleanliness

PMKKKY के जो भी क्षेत्र में खनिज खनन हो रहा है उसमे स्वच्छता के लिए कचरे की डिस्पोजल का ट्रांस्पोर्टेशन , पब्लिक प्लेस की सफाई , कचरे के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाये जाएगे |

Environment Preservation And Pollution Control Masonic

इस योजना के तहत खनिज खनन क्षेत्रो में जो नुकसान हो रहा है वो **DMF** के द्वारा कम किये जा सकेगा हुए उसे ना पा जा सके वैसे प्लांट और मशीन लगवा जाएगे जिससे वहां पे जो लोग रहते है उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े और पर्यावरण भी शुद्ध रहे |

Skill Development Of Youth

इस योजना के तहत युवाओ के स्किल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट ,स्किल प्रदर्शन के लिए ट्रेनिंग , कमाई के लिए जॉब क्रिएशन जैसी योजनाए प्रदान की जाएगी |

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना शामिल की गई हुई सभी सुविधाओं पर काम करेगी |

इन सभी कार्यो के लिए जो फण्ड लिया जाता है वो खनिज मूलाधार से लिया जाएगा जिसमे से 60% फंड का उपयोग पर्यावरण विकास और कौशल विकास के लिए किया जायेगा |

इसके अलावा 40% जो फंड है इसका उपयोग व्यय अनुसार होगा |

1. **जलमार्ग परियोजनाओं**
2. **रेल**
3. **पुलों और सडको का निर्माण**
4. **वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत**
5. **किसानों के लिए सिंचाई के सुविधा**

Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana के अनुसार सरकार की ये इच्छा है की जो लोग खदान के आसपास रहते है जैसे की आदिवासी , जंगली और प्रभावित क्षेत्र के लोग उनके नीचले जीवन स्तर में सुधार आए |

इन सबके लिए **DMFC** के द्वारा लगने वाला फंड अपने अपने क्षेत्र से आएगा | और इसलिए सरकार ने **12 जनवरी 2015** को खान और खनिज (विकास विनियमन) का अधिनियम प्रेरित किया है |इसके लिए खनिकों को सरकार ने पहले ही नोटीस भेज दी है जिसमे

इस योजना के तहत जो भी खनिक **12 जनवरी 2015** के पहले खनन एक्टिविटी से जो लीज लिए है वो **DMF** को दी जानीवाली रॉयल्टी पेमेंट से भुगतान करेंगे जो 30% ज्यादा होगा | और बाद में लेनेवाले को 10% ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा |

इस प्रकार जो अतिरिक्त पेमेंट मिलेगी उसके द्वारा **DMF** अपने जिलों में विकास का कार्य करेगी |

इस योजना के तहत राज्य सरकार को भी **1957 MMDR Act's section 20A** के अंतर्गत नोटिस भेजा जायेगा जिसके अनुसार **DMF** से गाईडलाइन तहत काम करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है |

राज्य सरकारों को **DMFs** के लिए लागू होनेवाले नियम और निर्देशों को लागू करना होगा |

दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी **DMF** को विकास का ब्यौरा देना होगा जिसमे जो गतिविधियाँ होती है उसमे पारदर्शिता बनी रहे |

और समय के अनुसार **PMKKKY** के अनुसार **DMF** को कार्य करना होगा और उसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी पड़ेगी |